कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला भोपाल

प. क्र./नर्सिंगहोम/2015/ 6194 भोपाल, दिनांक 15/5/15

प्रति,

प्राचार्य,
नारायण श्री हौम्यापैथिक मेडिकल कॉलेज,
एंड हॉस्पिटल पुष्पा नगर रेल्वे स्टेशन भोपाल।

विषयः– बी0एच0एम0एस0 के छात्र छात्राओं को पी0एच0सी0/सी0एच0सी0 में इंटरशीप करनें बाबत्।

—00—

उपरोक्त विषय में लेख है कि आवेदक संस्था द्वारा वाछिंत दस्तावेजों के आधार पर नारायण **श्री हौम्यापैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पुष्पा नगर रेल्वे स्टेशन भोपाल** को बी0एच0एम0एस0 के छात्र छात्राओं को पी0एच0सी0/सी0एच0सी0 में कम्यूनीटी मेडिसीन ट्रेनिंग इंटरशीप करने हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोलार/पी0एच0सी0 मिसरोद/रातीबढ/फंदा में निम्न शर्तो के आधार पर अस्थाई अनुमति प्रदान की जाती है।

1- प्रशिक्षण संबंधित कार्यक्रम हेतु चिकित्सा संस्था के प्रमुख की अनुमति एवं अनुशंसा प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
2- छात्रा अपने निर्धारित गणवेश (यूनिफार्म) में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।
3- संबंधित संस्था के प्रशिक्षक/डिमॉन्सेट्रेअर द्वारा ही प्रशिक्षण दिया जावेगा तथा नर्सिंग काउन्सिल ऑफ इंडिया के पाठ्यक्रम के अनुसार छात्रों के प्रायोगिक प्रशिक्षण के लिये, जो भी आवश्यक सामग्री है, वह संस्था द्वारा ही उपलब्ध करायेंगे।
4- प्रशिक्षण के दौरान संबंधित के इंसट्रक्टर छात्रों के साथ पूर्ण समय उपस्थित रहेंगे ।
5- रोगी कल्याण समिति के अध्यक्ष की अनुमति की आवश्यकता होगी एवं संस्था को निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।
6- किसी भी छात्र द्वारा चिकित्सा संस्था में अथवा किसी मरीज को नुकसान पहुचानें पर इसकी क्षतिपूर्ति उस संस्था द्वारा वहन की जावेगी जिसमें विद्यार्थी अध्ययनरत है।
7- वह अनुमति एक (01) वर्ष का अवधि के लिए होगी। दो वर्ष के पश्चात् अपना स्वतः चिकित्सालय प्रांरभ करना होगा।
8- म.प्र. शासन द्वारा अपना प्रशिक्षण प्रारम्भ करने की स्थिति में प्रायोगिक प्रशिक्षण हेतु दी गई अनुमति निरस्त की जा सकती है।
9- प्रायोगिक प्रशिक्षण के कार्यक्रम की जानकारी अधीक्षक बैरागढ़ चिकित्सालय को पूर्व से लिखित रूप से अवगत कराया जाना होगा कि कब–कब, किस–किस वार्ड के कितने छात्र जायेगे। सी.एम.ओ. जो भी जानकारी इस संबंध मे चाहेंगे तो उस संस्था को उपलब्ध कराना होगी।
10- प्रायोगिक प्रशिक्षण हेतु चिकित्सालय के सुविधा के अनुरूप आवंटित समय पर संस्था द्वारा प्रायोगिक प्रशिक्षण कराये।
11- प्रयोगशाला में रीजेन्ट्स इत्यादि पर व्यय होने वाली नियमानुसार राशि न्यूनतम रू.1400/– प्रति छात्र जो निर्धारित है, प्रतिवर्ष देय होगी।
12- किसी भी छात्र के द्वारा कदाचारण करने पर उसे शेष प्रशिक्षण से वंचित किया जा सकेगा।
13- इंडियन मेडिकल नर्सिंग काउंसिल के पाठ्यक्रम के अनुरूप प्रायोगिक प्रशिक्षण की अनुमति प्राप्त करने की जवाबदारी संस्था की होगी।
14- खण्ड चिकित्सा अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे की उनकी संस्था में प्रशिक्षण हेतु जो कि छात्र, छात्राओं उनकी अलग–अलग माहों में रोटेशन से प्रशिक्षण की सुविधा दें सभी संस्थाओं को एक ही माह में प्रशिक्षित न करे।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला भोपाल

प. क्र./नर्सिंगहोम/2015/ 6195 भोपाल, दिनांक 15/5/15

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ प्रेषित।

1. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोलार।
2. मेडिकल ऑफिसर, प्राईमरी हेल्थ सेंटर मिसरोद/रातीबढ/फंदा।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला भोपाल

Narain Shree Homoeopathic Medical College Clinic & Research Centre
1883
BHOPAL
16/05/15

Dr.R.S.Agarwal
Principal
Narayan Shree Homoeopathic
Medical College & Hospital
Bhopal-10-M.P.